फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)

पप्पु पिता रामदेव भील नि. बांकरा

वनाम

हरलाल पिता उदा मीणा नि. बांकरा वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 1154/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
25.11.21	प्रार्थना पत्र प्रशासन गॉवों के संग अभियान में पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम बांकरा प. ह. बांकरा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 1006/3 रकबा 0.5400 है. कुल किता 1 रकबा 0.5400 है. स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी अप्रार्थीगण है। परन्तु उक्त पडोसीगण को सीमा बिन्दु की पुख्ता जानकारी नही होने से आये दिन हंकाई, बुवाई, कटाई के समय अक्सर सीमा बिन्दु को लेकर विवाद होता रहता है। प्रार्थी अपनी भूमि के चारो और लोहे की जालियॉ लगाना चाहता है। अप्रार्थीगण प्रार्थी को रोकते है। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलगन नकल जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की हैं। प[illegible]सियान के विवाद करने बावत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम बांकरा प. ह. बांकरा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 1006/3 रकबा 0.5400 है. कुल किता 01 रकबा 0.5400 है. की बसामलात प[illegible] के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक खजुरी को क[illegible] नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500– रू. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रू. राजकोष में जमा [illegible]। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट [illegible] करे। आदेश आज दिनांक 25 [illegible] को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर(भीलवाडा)	

Scanned with CamScanner